वित्त निर्देश 56/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 488/एफ-2013-04-00416/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-राज्य शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।
संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 403/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2014 (माह अक्टूबर, 2014 का वेतन जो माह नवम्बर, 2014 में देय है) से 107 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

(2) राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि महंगाई भत्ता की उक्त दरें दिनांक 01.10.2014 के स्थान पर दिनांक 01.07.2014 से लागू की जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि, ऐसे शासकीय सेवक जो सामान्य भविष्य निधि अथवा विभागीय भविष्य निधि के अभिदाता है, कि जुलाई, 2014 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि की देय राशि संबंधित शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि खाते में जमा की जावेगी।

(3) ऐसे शासकीय सेवक जो सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि के अभिदाता नहीं है, को देय राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

(4) भुगतान की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति उनके ज्ञापन क्रमांक एफ-68/स्था./आम निर्वा./2014/2498, रायपुर दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रदाय की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/12/2014

(एस.के. चकवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 489/एफ–2013–04–00416/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस–हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड–495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

16/12/14

(ज्योति ठाकुर सोरी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग